संख्या- 24/2026/347/29-3-2026(2076578)

प्रेषक,

सिद्धा शरण पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2026

विषय:- जनपद फतेहपुर क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों हेतु कार्यालय भवन किराये पर लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 ले0शा0/663/244/कार्या0किरा0/2026 दिनांक 25 अगस्त, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फतेहपुर के क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों के कार्यालय भवन व्यवस्थापन हेतु जनपद फतेहपुर में स्थित श्री गोपाल कृष्ण गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता के भवन जिसका क्षेत्रफल 1144 वर्गफुट है, जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाणपत्र तथा विभाग एवं भवन स्वामी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के आधार पर रू016.94 प्रति वर्गफुट प्रति माह की दर से रू019,387.00 (रू0 उन्नीस हजार तीन सौ सत्तासी मात्र) मासिक किराया स्वीकृति तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. उक्त दर से किराया भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यालय भवन हेतु किराये के रूप में यदि कोई धनराशि पूर्व में भुगतान की गयी हो तो उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अन्य अवशेष औपचारिकताएं भी अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

4. उक्त के मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक-2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय(अधिप्राप्ति तथा पूर्ति) के अन्तर्गत मद संख्या-17 किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. यह आदेश प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

सिद्धा शरण पाण्डेय

विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग जवाहर भवन, लखनऊ।
4. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, प्रयागराज सम्भाग, प्रयागराज।
5. जिला खाद्य विपणन अधिकारी, फतेहपुर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, फतेहपुर।
7. श्री गोपाल कृष्ण गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता, रामाभवन आई0टी0आई0 रोड, शहर व जिला फतेहपुर।
8. गार्डबुक।

आज्ञा से

अवनीन्द्र कुमार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।